

पत्रावली सं० 105/2019 सरकार बनाम सद्वील श. वैद्य

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	यह क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के परामर्श प्रेषित किया
23-8-19	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हलका द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>सद्वील</u> पुत्र श्री <u>वैद्य</u> जाति <u>सद्वील</u> निवासी <u>69A-B</u> में कसत रही/खरीक सम्बन्ध/सन् <u>2076</u> में गांव/घर नं० <u>69A-B</u> के नु० नं० <u>30</u> में <u>बीघा</u> स्थित व <u>असिद्धित कुल 1.012 ई०</u> बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामल वर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बादजूद के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक प्रकीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>यह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बैदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>50</u> गुणा पेनल्टी राशि रू० <u>405/-</u> अखरे रू० <u>चार सौ पांच रुपये मात्र</u> अधिरोपित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की घसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बैदखल कर फसल बहक राज्य सरकार हेतु सिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

तठसीलवार (राजस्व)
रायसिंहनगर

